अमर उजाला

विज्ञापन में 'घीया-तोरी' को खुद से कमतर दिखाने पर मैकडोनाल्ड को नोटिस

बिजनेस डेस्क, अमर उजाला Updated Sat, 23 Nov 2019

भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) ने फास्ट फूड को बढ़ावा देने के लिए अपने विज्ञापनों में ताजे पके खाद्य पदार्थों और सब्जियों को अपने से कमतर दिखाने के लिए मैकडोनाल्ड को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। एफएसएसएआई ने अपने नोटिस में इस महीने समाचार पत्रों में छपे पूरे पेज के विज्ञापन का उल्लेख करते किया है जिसमें उसने लिखा था, फिर से अटके घिया-तोरी के साथ? बनाएं अपना मनपसंद 1+1 कॉम्बो।
खाद्य नियामक संस्था एफएसएसएआई ने हार्ड कासल एंड कनॉट प्लाजा रेस्टोरेंट लिमिटेड को नोटिस भेजकर पूछा है कि उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की जाए। यह संयुक्त उपक्रम देश में मैकडोनाल्ड फास्टफूड श्रृंखला के रेस्तरां का संचालन करता है। मैकडोनाल्ड ने इस महीने की शुरुआत में समाचारपत्रों में विज्ञापन दिया था। इसमें घर में पके खाद्य पदार्थों और स्वास्थ्यवर्धक सब्जियों को अपने उत्पाद से कमतर दिखाया था।

एफएसएसएआई ने माना कि कुछ कंपनियां अपने खाद्य पदार्थों की बिक्री बढ़ाने के लिए आमतौर पर अन्य खाद्य पदार्थों को अस्वस्थकर बताकर पेश करती हैं। उसने ऐसे विज्ञापनों पर चिंता प्रकट की है। मैकडोनाल्ड को एक निर्धारित समय के अंदर जवाब देने को कहा गया है। एफएसएसएआई के विज्ञापन संहिता के उल्लंघन पर 10 लाख रुपये तक का जुर्माना का प्रावधान है।

हार्ड कासल रेस्टोरेंट प्राइवेट लिमिटेड (एचआरपीएल) ने अपने बयान में कहा कि वह पश्चिम और दक्षिण भारत में रेस्तरां का संचालन करता है और प्रिंट मीडिया में प्रकाशित विज्ञापन उसने जारी नहीं किए थे। हम इस बारे में पहले ही एफएसएसएआई को लिखकर स्पष्टीकरण दे चुके हैं। एचआरपीएल ने एफएसएसएआई से अपना नोटिस वापस लेने का अनुरोध किया है। हालांकि इस बारे में अभी कनॉट प्लाजा रेस्टोरेंट की प्रतिक्रिया नहीं मिल सकी है।